मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

सुन्दर पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी करणपुरा हाल गुडिया खेडा

बनाम

1. बालाराम S/o खुम्माराम
2. बनवारीलाल S/o बालाराम
3. पप्पुराम S/o बालाराम
4. कृष्णा D/o बालाराम

जाति जाट नि० करणपुरा हाल गुडिया खेडा

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 186/2020

निर्णय दिनांक :– 18/11/2021

वादी की ओर से वकील विनोद पूनियां की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/11/2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक करणपुरा बारानी के खाता संख्या 87/86 के खसरा नम्बर 37 की 9.282 है० खसरा नम्बर 44 की 5.526 है० इस प्रकार कुल 14.808 है० में 130-1/9 हिस्सा प्रतिवादी बालाराम के नाम, चक 3 KRP के खाता संख्या 46/40 के मु.न. 34, 35, ~~25~~ 47, 48, 64, 65, 88, 89 इस प्रकार कुल किता 51 की कुल 12.903 है० में प्रतिवादी बालाराम के नाम 113-1/3 हिस्सा, इसी प्रकार चक 9 MSR के खाता संख्या 25/21 के मु.नं. 55, 56 कुल किता 7 की कुल 1.771 है० में 60 हिस्सा में से 1/9 वां भाग प्रतिवादी बालाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी बालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुन्दर, प्रतिवादी सं० 2 बनवारीलाल व प्रतिवादी संख्या 3 पप्पुराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी सं. 1 व 4 ने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में तर्क कर दिया है। चूंकि त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी देय हो। यदि उक्त भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। राजीनामा को डिक्री का भाग पढ़ा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुंतला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (हनुमानगढ़)